न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–375 /2016

1. लक्ष्मण आयु लगभग 63 वर्ष
2. बजरंग आयु लगभग 53 वर्ष — पुत्रान भुवाना,
3. गणेश आयु 61 वर्ष
4. रामजीलाल पुत्र श्री बद्रीनारायण, आयु 46 वर्ष
5. रामबक्श पुत्र रामजीवण, आयु 43 वर्ष
6. जगदीश पुत्र श्री नारायण, उम्र 77 वर्ष
7. देवनारायण पुत्र श्री नारायण, आयु 62 वर्ष
8. मेखराज पुत्र श्री कालूराम आयु 25 वर्ष

समस्त जाति मीणा, निवासियान ग्राम– ठीकरिया, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण–

बनाम

1. हरसाय
2. बीरबल
3. रामलाल
4. अर्जुन पुत्रान रामपाल सभी जाति मीना
5. रामप्रताप
6. श्योकरण जाति मीना दोनो पुत्रान रामसहाय
7. काली पुत्री रामसहाय
8. बिलास पिता रामपाल
9. मुकुट पुत्र नैनू
10. गिर्राज पुत्र नैनू

समस्त जाति मीणा, निवासियान ठीकरिया मीणान, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राज0।

11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
12. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चाकसू।
13. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा चाकसू
14. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाकसू।
15. शाखा प्रबन्धक, केनरा बैंक शाखा गरूडवासी, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

– रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री विजय कुमार शर्मा अपीलार्थीगण की ओर से।

2– श्री सत्य प्रकाश पारीक रेस्पोडेंट सख्या 1 लगायत 10 की ओर से।

3–श्री ओम प्रकाश पारीक रेस्पोडेट सख्या 12 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

:– निर्णय :– दिनांक :– 22–01–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2016 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने प्रकरण संख्या 326/15 शीर्षकीय लक्ष्मण वगैरा बनाम हरसहाय वगैरा में पारित किया गया है, प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक रेवेन्यू दावा घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा आदि सहायताओं का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था और साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भिक रूप से सुनवाई करके प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के खिलाफ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी थी जो दिनांक 20.06.2016 तक प्रभावशीन रही। प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण पर दावा के सम्मन तामील होने पर उन्होनें उपस्थिति दी और बाद में टी.आई. प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। जवाब पेश होने के बाद भी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बदस्तूर जारी रही। अपीलार्थीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी सबूत पेश किये तथा सींव लगवा, गांव के पडौसी काश्तकारों के शपथ–पत्र पेश किये और मीणा समाज के द्वारा पक्षकारों के बीच वादग्रस्त जमीनों के विवाद को सुनटाने के लिए जो समाज की मीटिंग हुई और उसमें जो निर्णय अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध लिया गया उसकी फोटो स्टेट प्रति भी पेश की गई। अपने जवाब टी.आई. प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने कई बातें स्वीकार की जिनमें से मुख्य बात यह स्वीकार की हे कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थीगण–प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम की प्रविष्टियों स्वीकार की गई है। प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने अपने बचाव में अपीलार्थीगण–प्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी पर चले आ रहे कब्जे के बाबत एक यह आधार लिया है कि प्रत्यर्थीगण–अप्रार्थीगण के पूर्वज ने अपीलार्थीगण–प्रार्थीगण के पूर्वजों को जमीने सीर में काश्त करने के लिए बताई थी और इस प्रकार वे सीरी थे। प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने इस प्रकार सीरी होने के कथन करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अपीलार्थीगण–प्रार्थीगण की मौके पर कब्जा काश्त व उनका भौतिक कब्जा स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 आर.टी.ए. के प्रार्थना प. पर सुनवाई करके दिनांक 20.06.2016 को अपना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध व्यथित होकर अपीलार्थीगण–प्रार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलागत आज्ञा खिलाफ कानून है तथा बिना दस्तावेजी व अभिकथनों के सही व कानून सम्मत परीक्षण तथा विवेचन किये ही पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के अभिवचनों में यह स्पष्ट रूप से स्वीकृत स्थिति है कि मौके पर अपीलीर्थीगण/प्रार्थीगण का भौतिक कब्जा है और यह कब्जा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों से प्रमाणित हो रहा है। आस पडौस के काश्तकारों के शपथ पत्रों से भी यह मौके पर कब्जे की स्थिति साबित हो रही है। इस प्रकार रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी खसरा गिरदावरियों, शपथ पत्रों व स्वीकृति के अभिवचनों से प्रथमदृष्टया केस अपीलार्थीगण का सुदृढ साबित हो रहा है।अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों का सही रूप से परीक्षण नहीं किया व अपने जवाब टी.आई. में प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण द्वारा जो स्वीकारोक्ति की गई है उसका कानून सम्मत अवलोकन नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य सबूत को दरकिनार करके अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आक्षेपित आज्ञा पारित की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित बहस व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों को प्रस्तुत किया गया था लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। रूलिंग्स के बाबत् कोई निर्णय नहीं किया कि आया पेश किया गया कानून

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हस्तगत मामले में क्यों चस्पा नहीं माना जावेगा। इस प्रकार अपीलगत आदेश गैर कानूनी है। जब पूरी तरह प्रथमदृष्टया मामला दस्तावेजों शपथ–पत्रों व स्वीकृत अभिवचनों के व मौके की स्थिति से अपीलार्थीगण–प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहा है तब सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओं को प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं मानने का जो निर्णय लिया है वह खिलाफ रिकॉर्ड व खिलाफ कानून है। अपीलार्थीगण–प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं उसमें प्रार्थीगण ने जो बिन्दू उठाये हैं तथा समर्थन में जो दस्तावेजात पेश किये हैं उन्हें भी इस अपील का आधार माने जाने की प्रार्थना है। अपीलान्टस द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अपीलार्थीगण–प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जावे।

4–अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि तीन गॉवों में स्थित है।प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 10 रामपाल मीणा के वारिसान है अपीलान्टस के पूर्वज भुवाना व श्रीनारायण की माता श्रीमति भागा ज्ञाना की पत्नि थी जो ज्ञाना की मृत्यु उपरान्त नानगा के नाते चली गई थी एवं नानगा से रामपाल का जन्म हुआ। अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि ज्ञाना जो अपीलान्टस के दादा थे की भूमि का नामान्तरकरण भी रेस्पोडेन्टस के दादा नानगा द्वारा अपने नाम दर्ज करवाली गई थी जिसमें अपीलान्टस का हक हिस्सा निहित होने से खातेदारी की घोषणा चाही गई एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि को हस्तान्तरण नहीं करने एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने के संबंध में अस्थाई निषेघाज्ञा चाही गई थी।प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला अपीलान्टस के पक्ष था क्योंकि वादग्रस्त भूमि अपीलान्टस के कब्जे में है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। घोषणा का वाद लम्बित रहते हुए वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखना जाना न्यायालय का कर्तव्य है ताकि वाद बहुलता नहीं हो। निषेधाज्ञा के बिन्दू पर निर्णय पारित किये जाने में कब्जा महत्वपूर्ण घटक होता है जिसकी ओर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1995 आर.बी.जे. 475,1998 आर.बी.जे. 381, 2016 (2) आर.आर.टी 1084, 1996 आर.बी.जे. 496, 2017 (1) आर.आर.टी. 451,1969 आर.आर.डी. 472 प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्स सख्या 01 लगायत 10 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थीगण जमाबंदी संवत 2026–29 में वादग्रस्त भूमि अपने पूर्वज त्रिलोका के नाम अंकित होना कथन करते है जबकि ऐसा नही है। इस आशय की कोई जमाबंदी पेश नहीं की गई है। न ही कुशला व उसके पश्चात ज्ञाना व नानगा के नाम की जमाबंदी भी प्रस्तुत की गई है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक नही है। वादग्रस्त भूमि संवत 2004 अर्थात 1947 से नानगा पुत्र सुखा के नाम खातेदारी व दर्ज चली आ रही है।जमाबंदी संवत 2012 में भी यही इन्द्राज है। अपीलान्टस का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है न ही कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्टस की खातेदारी में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्टस के पक्ष में है न कि अपीलान्टस की। रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नही है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे (एस.सी) 1997 पेज 6, आर.आर.टी. 2006 (2) 1410, आर.आर.टी. 2004 (2) 1045, आर.आर.टी 2011 (2) 471, आर.आर.डी. 2002 पेज 351 प्रस्तुत कर अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

7–उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों घटको का विवेचन किया गया है उक्त विवेचन एवं उसपर न्यायालय हाजा का मत निम्न अनुसार है :–

1–प्रथमदृष्टया मामला– इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचित किया गया है कि ''पत्रावली पर उपलब्ध जमांबदी संवत 2017–20 एवं संवत 1984 की मिसल हकीयत बंदोबस्ती निजामत सवाई जयपुर से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के पूर्वजों का कभी भी नाम दर्ज रिकॉर्ड नही था, अपितु प्रारम्भ से ही वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। पूर्व में उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज नानगा पुत्र श्री सुखा की खातेदारी थी जो खतौनी बस्दोबस्त संवत 2004 से स्पष्ट है। संवत 2004 जिसका वर्ष 1947 है एवं आज संवत 2072 तक अर्थात 68 वर्षो तक पूर्व में अप्रार्थीगण के पूर्वज एवं वर्तमान मे अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे एवं है साथ ही पूर्व में भी कब्जे काश्त में थे और आज दिनांक तक भी कब्जे काश्त है। ऐसी स्थिति में एक रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी अजनबी को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही है।ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में तैय किया जाता है।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवेचन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से ही अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस के पूर्वज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रहे है तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है।अपीलान्ट्स का मुख्य कथन वादग्रस्त आराजी का पैतृक होना किया गया है जो कि प्रथमदृष्टया उपलब्ध रिकॉर्डेड के अनुसार इस स्टेज पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात संवत 2004 में अप्रार्थीगण के पूर्वज नानगा की खातेदारी में दर्ज रही है।अपीलान्ट्स प्रार्थीगण के वाद का निस्तारण संपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर किया जाना शेष है परन्तु अप्रार्थीगण के रिकॉडेड खातेदार काश्तकार होने तथा अन्यथा सिद्ध नही किये जाने तक उन्ही का कब्जा काश्त माना जाने के आधार पर प्रार्थीगण/अपीलान्टस के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस होना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार इस बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन एवं निष्कर्ष विधि अनुकूल है जो यथावत रखा जाता है।

2– सुविधा का संतुलन–इस बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायलय का विवेचन है कि ''प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में होन के कारण यह तय किया जाता है कि यदि अप्रार्थीगण , जो वादग्रस्त आराजी में अपने पूर्वजों के समय से ही रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्राथीगण को असुविधा होगी। इसलिये सुविधा के सन्तुलन की दृष्टि से यह बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया उक्त विवेचन एवं निष्कर्ष उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उचित प्रतीत होता है। काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व तथा पश्चात वर्तमान तक अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है न कि प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स के। अतः इस बिन्दु पर पारित अधिनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

3– अपूर्णीय क्षति :– इस बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायलाय का विवेचन है कि '' चूंकि अप्रार्थीगण के पूर्वज एवं अप्रार्थीगण स्वयं वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है,इसलिये अप्रार्थीगण

राजस्व अपील अधिकरण जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधि. जयपुर

को यदि जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये यह बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है। "रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार को अपने काश्तकारी अधिकारों का उपयोग व उपभोग किये जाने से पाबंद कर देने से उनके विधिक अधिकारों का हनन होगा तथा अपूर्णीय क्षति कारित होने की संभावना होगी। वर्तमान में प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स प्रथमदृष्टया वादग्रस्त भूमि के काश्तकार नही होने तथा काबिज नही होने से उन्हें किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति कारित होने की संभावना नही है। इस प्रकार इस बिन्दु पर पारित अधिनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष यथाावत रखा जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट्स के प्रथमदृष्टया काबिज काश्तकार नही होने से चस्पा नही होते है। रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं होने से वह अस्वीकार योग्य पाई जाती है तथा अपीलाधीन आदेश यथाव रखे जाने योग्य पाया जाता है।

8–अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–06–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 22–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर